राजस्थान सरकार

न्यायालय उप तहसीलदार सिंघाना जिला झुन्झनु (राज0)

मुकदमा	किस्म मुकदमा	रजु दिनांक	निर्णय दिनांक
135/2019	धारा 91 एल.आर.एक्ट	05.12.2019	20.01.2019

राजस्थान सरकार बनाम रघुवीर सिंह पुत्र जमनाराम जाति गुर्जर निवासी ईश्कपुरा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज0)

-: निर्णय :-

पत्रावली आज पेश हुयी। अतिक्रमी अनुपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। मामला संक्षिप्त मे इस प्रकार है। पटवारी हल्का मुरादपुर ने सम्वत 2076 में इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि ग्राम ईश्कपुरा के ख0 न0 536/470 कुल रकबा 0.50 है0 किस्म गै0मु0 नाला मे से 0. गै0मु0 बजड-2 मे से 0.62 व ख0न0 471 कुल रकबा 0.86 है0 किस्म गै0मु0 नाला मे से 0. 86 है कुल भूमि 1.36 है0 पर अतिक्रमी रघुवीर सिंह पुत्र जमनाराम जाति गुर्जर निवासी ईश्कपुरा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज0) ने अवैध रूप से तारामीरा फसल कास्त कर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण किया गया है।

रिपोर्ट पटवारी हल्का से प्राप्त होने पर मामला दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिक्रमी को राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया जाकर तलब किया गया। नोटिस प्राप्ति पर अतिक्रमी उपस्थित रहा। अतिक्रमी ने जवाब प्रस्तुत किया जो पत्रावली मे शामिल किया गया।

पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य/सबुत का गहनता से मनन किया गया । अतिक्रमी द्वारा किया गया अतिक्रमण जो काबिल नियमन नही है। ना ही नियमो के अनुरूप है। अतिक्रमी द्वारा तारामीरा की फसल कास्त कर अतिक्रमण किया गया है। अतिक्रमण किये जाने के फलस्वरूप अतिक्रमी घोषित किया जाता है व जैर बहस रिपोर्ट पटवारी पर से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते है।

अतिक्रमी द्वारा अनाधिकृत रूप से किये गये अवैध रूप से तारामीरा की फसल कास्त कर अतिक्रमण किये जाने के दण्ड स्वरूप शरह लगान 0.62 एंव 0.62 कुल लगान 1.36/- का अतिक्रमण शुदा भूमि के ख0 न0 536/470 व 471 लगान 1'1 की 50 गुणा जुर्माना राशि 100/- बतौर शास्ति कायम किये जाते है।

तहसील राजस्व लेखाकार/भू0 अ0 निरीक्षक/पटवारी हल्का को वास्ते जमा कायमी/बेदखली/कुर्क शुदा फसल को निलामी कर राशि राज कोष मे जमा करवाने हेतु लिखा जावे। भू0 अ0 निरीक्षक को राजकीय भूमि से अतिक्रमीत भूमि से वास्तविक रूप से बेदखल करने हेतु लिखा जावे। पत्रावली बाद तकमील तामील दाखिल दफ्तर हो तथा नम्बर शुमार से कम होकर दर्ज फैसला हो।

निर्णय आज दिनांक 20.01.2020 को खुले न्यायालय सुनाया मे सुनाया गया।

उप तहसीलदार सिंघाना

Scanned with CamScanner